**<u>अति महत्वपूर्ण / ई-अधियाचन पोर्टल एवं मानव सम्पदा पोर्टल</u>**

**<u>संख्या- 2/2025/ 08/सैतालीस-का-5-2025</u>**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

**<u>कार्मिक अनुभाग-5</u>** **लखनऊः 17-01-2025**

विषयः- ई-अधियाचन पोर्टल एवं मानव सम्पदा पोर्टल के संचालन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- शासन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा किये जाने तथा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी यह संज्ञान में आया है कि विभागों / परिधिगत कार्यालयों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के संचालन हेतु अपेक्षित गम्भीरता नहीं बरती जा रही है तथा कार्मिकों के सेवा संबंधी विवरण भी पोर्टल पर अद्यतन नहीं किये गये है। उक्त के अतिरिक्त पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल पंजीकृत 833009 कार्मिकों के सापेक्ष 796758 कार्मिकों द्वारा ही वर्ष 2023 का सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या- 560/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 15.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पोर्टल पर दर्ज डाटा की शुद्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश जारी किये गये है परन्तु अभी तक विभागों द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। यह स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है।

3- राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन कराया जाना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन उ०प्र० लोक सेवा आयोग एवं उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य चयन संस्थाओं को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने हेतु ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। विभिन्न विभागों / विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की उच्च स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा माह मार्च 2024 ONLINE PROBLEM SOLVING SESSION आयोजित करते हुए विभागवार आ रही समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया गया था। उक्त के पश्चात भी विभागों द्वारा प्रेषित किये जा रहें ई-अधियाचनों में विसंगतियां परिलक्षित हो रही है, जिन्हें आयोगो द्वारा आपत्ति के साथ विभागों को वापस कर विसंगतियों का निराकरण का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा करते हुए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु पोर्टल पर दिनांक 15.01.2025 की सूचना के अनुसार अभी उ०प्र० लोक सेवा आयोग की आपत्ति संबंधी कुल 28 एवं उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपत्ति संबंधी कुल 131 प्रकरण लम्बित है। इन प्रकरणों में शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही न किये जाने के कारण रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाय:-

1. मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों की सर्विस बुक संबंधी समस्त सूचना यथा नाम, पदनाम, विभाग, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश, इत्यादि एक पक्ष में अद्यतन कर ली जाए। विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा करते हुए यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाए।
2. कार्मिक विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 15.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर विभागीय डाटा की शुद्धता सुनिश्चित कराये जाने की कार्यवाही एक पक्ष में पूर्ण की जाए।
3. जिन कार्मिकों द्वारा अभी तक वर्ष- 2023 का सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
4. ई-अधियाचन पोर्टल पर उ०प्र० लोक सेवा आयोग एवं उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आपत्ति संबंधी प्रकरणों की विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए आयोग की आपत्ति का निराकरण कराकर नियमानुसार त्रुटिरहित अधियाचन आयोग को अविलम्ब प्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त विभाग स्तर पर अन्य प्रक्रियाधीन / लम्बित अधियाचनों में भी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए आयोगों / चयन संस्थाओं को अधियाचन अविलम्ब प्रेषित किये जाए।
5. प्रत्येक विभाग में ई-अधियाचन की समीक्षा हेतु एक विभागीय मॉनिटरिंग आई०डी० सृजित करायी जाए ताकि विभाग एवं विभागान्तर्गत कार्यालय द्वारा अधियाचन प्रेषण की समीक्षा सुगमतापूर्वक हो सके। यह कार्यवाही एन०आई०सी० से सम्पर्क करते हुए अतिशीघ्र पूर्ण करा ली जाए।

5- कृपया प्रश्नगत प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या एवं दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मानव सम्पदा पोर्टल
संख्या- 560 /सैतालीस-का-5-2024-(1838120)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 15-11-2024

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023, शासनादेश संख्या-7/2024/489/सैतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, दिनांक 06.06.2024, शासनादेश संख्या- 362/सैतालीस-का-5-2024-(1838120) दिनांक 03.09.2024 तथा शासनादेश संख्या- 379/ सैतालीस-का-5-2024-(1838120) दिनांक 19.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद **पोर्टल पर कुल पंजीकृत 8,26,683 राजकीय कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक 04.11.2024 तक 7,97,782 (कुल 96 प्रतिशत) कार्मिकों द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है।**

3- उल्लेखनीय है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों के डाटा की शुद्धता का दायित्व संबंधित विभागों का है, तथा इस संबंध में पूर्व में निर्देशित भी किया गया है। उक्त के पश्चात भी पोर्टल की समीक्षा में संज्ञान में आयी त्रुटियों के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पाई गयी है:-

1. पोर्टल पर मृत / सेवानिवृत्त कार्मिकों के यूजर आई०डी० भी ऐक्टिव होने की स्थिति में इन्हें तत्काल डीऐक्टिव कराया जाए।
2. यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी के त्रुटिवश दो आई०डी० जनरेट हो गये है, तो एक आई०डी० को डीऐक्टिव कराया जाए।
3. पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के विवरण में पुनर्नियुक्ति / संविदा, दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात कार्मिक या स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों का विवरण यदि दर्ज है, तो उसे राज्य कर्मचारियों के विवरण से हटाया जाए।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित बिन्दुओ के संबंध में अपने स्तर पर सतत अनुश्रवण करते हुए विभागीय डाटा की शुद्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे पोर्टल पर पंजीकृत राज्य कर्मचारियों के डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पुनरावृत्ति की स्थिति न रहें। यह कार्यवाही कृपया 30 नवम्बर, 2024 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए।

भवदीय,

Signed by
M Devaraj
Date: 15-11-2024 12:39:21

(एम० देवराज)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
11. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
संयुक्त सचिव।